مقام [illegible] دولت خانہ [illegible] ۔ حسین مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت فرمائی

(۱) عبدالغفور صاحب [illegible] (۲) محبوب حسین صاحب مشیر گان — علاؤ الدین [illegible] اندر [illegible] مشیر گان

(۳) [illegible] محمود الزمان مشیر گان

[illegible] حسین صاحب مرحوم کی جائداد کی تقسیم کے سلسلہ میں [illegible]

[illegible] صاحب مرحوم نے ۲۶ ذیقعدہ سنہ ۱۳۹۲ھ [illegible] ۱۹۷۳ء [illegible] انتقال [illegible]

[illegible] مندرجہ ذیل وارثین چھوڑے (۱) والدہ مسماۃ [illegible] خاتون (۲) زوجہ [illegible] خاتون

[illegible] خاتون (۳) [illegible] (۴) [illegible] احمد [illegible] رسیدہ خاتون [illegible]

[illegible] خاتون [illegible] رشیدہ خاتون

تمام [illegible] صاحب مرحوم کی جائداد کا [illegible] تحقیق و تفتیش کے بعد [illegible]

[illegible] تفصیل حسب ذیل ہے

(۱) [illegible] مکان [illegible] ایک مکان موضع [illegible] میں [illegible] واقع ہے جس

[illegible] مکان [illegible] (ب) [illegible]

[illegible] موضع [illegible] میں [illegible] چند [illegible] میں

[illegible] بیش [illegible]

(۲) [illegible] ایک [illegible] مکمل ہے

[illegible] ۱۲۹۹ —

(۳) [illegible] رقم

(ب) [illegible] ۱۲۵۱۶ — ۳۰

(ج) [illegible] ۹۲۱۲ — ۵۱

(د) [illegible] پانچ ہزار روپے ۵۰۰۰ —

[illegible] ۳۲۰۵۰ — ۶۱

جائداد کی تقسیم وارثین [illegible] حسب ذیل ہے

واضح ہو کہ [illegible] جائداد [illegible] تقسیم [illegible]

[illegible]

[illegible] مرحوم [illegible]

زیادہ دیا گیا – البتہ والدہ حاجی صاحب مرحوم اور تمام ہمشیرہ کو حسب منشاء حصہ کم دیا گیا – اور ہماری ہمشیروں کو کم دیے گئے ہیں

لیکن مد نظر یہ ہے کہ حاجی صاحب مرحوم نے تمام ہمشیرہ کا تعلق جہیز کی شادی اور آمدورفت کا ذریعہ اپنی جان اور اپنا شیروں کے ساتھ رکھی ہے

[illegible] حاجی صاحب مرحوم کی والدہ اور دیگر [illegible] تقسیم [illegible] ہے

دیگر ہمشیروں نے [illegible] حسب ذیل تقسیم

وارثان کی رضا و خوشی سے تقسیم کی گئی ہے

(۱) مکانات کی تقسیم حسب ذیل ہے

(الف) حویلی [illegible] واقع [illegible] عباس احمد صاحب کو دیا گیا۔ [illegible] ہزار [illegible] کی [illegible] ہے

وہ خود [illegible] کریں گے

(ب) [illegible] واقع مکان [illegible] ابو صالح احمد [illegible] کو دیا گیا

(۲) کھیتی کی زمین کی تقسیم حسب ذیل ہے

کھیتی کی [illegible] زمین [illegible] واقع ہے [illegible] دیا گیا [illegible]

(۳) نقد روپے [illegible] کی تقسیم حسب ذیل ہے

(الف) ادائیگی قرض [illegible] حاجی صاحب	پانچسو روپے	۵۰۰
(ب) [illegible] پانچسو روپے	پچیس سو روپے	۲۵۰۰
(ج) والدہ حاجی صاحب مرحوم	~~پانچسو روپے~~ دو سو روپے	~~۵۰۰~~ ۲۰۰ [illegible]
(د) اہلیہ حاجی صاحب مرحوم	دس ہزار روپے	۱۰۰۰۰
(ہ) [illegible]	دس ہزار روپے	۱۰۰۰۰
(و) [illegible]	دس ہزار روپے	۱۰۰۰۰
(ز) [illegible]	[illegible] روپے	۸۵۰—۸۱
میزان	[illegible] روپے	۳۴۰۵۰—۸۱

[illegible] کی تقسیم حسب ذیل ہے

(۴) [illegible]

[illegible]

[illegible] تقسیم کر دیا گیا

(۵) [illegible]

[illegible]

[illegible]

مذکورہ بالا وصیت کے مطابق میں نے تمام وراثتی حق لے لیا ہے

حصے کی صورت میں وصول پا لیا ہے کسی وارث کا مطالبہ کسی

قسم کے روپیہ یا قیمتی زیورات اپنے خورد سالی اپنی حیات سالی

بولاد قسمین موجود ہیں کی وفات کے بعد کسی کو وارث و

وراثت کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا فقط

دستخط وارثان

فہمیدہ خاتون محمد عباس

35.12.7

محمد شمشاد عالم

21-10-72

आज तारीख 3 जनवरी 1975 (उन्नीस सौ पचहत्तर) ई0 दिन शुक्रवार चार बजे स्वर्गीय हाजी विलायत हुसैन के घर खैरनटोली में एक खास मिटिंग हुई। जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल हुए।

1. अब्दुल गफूर साहब, राजगामपूर सुन्दरगढ।
2. तैय्यब हुसैन साहब, सिमडेगा।
3. अलाऊद्दीन अशरफ साहब, एडवोकेट, सिमडेगा।
4. अबरार अहमद कासमीं, मदरसा इस्लामिया तजवीदुलकुरान, सिमडेगा।

यह मिटिंग हाजी विलायत हुसैन मरहूम के जायदाद के बटवारे के सिलसिले में हुई। जनाब हाजी विलायत हुसैन की 26 जिकादा 1394 हि0 (11 दिसम्बर 1974 ई0) दिन बुध को 9 बजकर 10 मिनट पर मृत्यु हुई। और मरहूम ने अपने पीछे निम्नलिखित वारिश छोड़े।

1. वालदा मुसमात बीबी बरफन खातून।
2. पत्नि एक मुसमात कुलसुम खातून।
3. लड़के दो अब्बास अहमद, अयाज अहमद।
4. लड़कियाँ पाँच जुबैदा खातून, सुबैदा खातून, सन्जीदा खातून, फहमीदा खातून, रशीदा खातून।

तमाम पंच ने हाजी साहब मरहूम के जायदाद का जायजा लिया। पूरी तहकीत और तफतीश के बाद जो जायदाद पंचों के सामने जाहिर हुई वो निम्नलिखित है।

1. रेहाईसी मकान दो है (क) एक मकान मुहल्ला खैरनटोली में मस्जिद रोड से उत्तर के तरफ स्थित है जिसमें कुछ रेहाईसी कमरों के साथ-साथ बाड़ी कुआँ, पैखाना वगैरा आदि भी है। ये मकान कच्चा और उपर खपड़ा है। (ख) दूसरा मकान मुहल्ला खैरनटाली में सिमड़ेगा-बिरमित्रापूर रोड से पश्चिम की तरफ स्थित है, इसमें कुछ रेहाईशी खपड़ेपोश-पुख्ता कमरे हैं। बाड़ी भी हैं। लेकिन पैखाना और कुआँ नहीं है।

2. कुछ खेती की जमींन कसडेगा थाना ठेठईटाँगर में है। जिसका रकबा करीब एक एकड़ चार डिसमिल है।

3. (क) तिजोरी में नगद रकम (सत्रह सौ रू) – 1700.00

(ख) पासबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिमडेगा में

(सत्रह हजार पाँच सौ छः रूपया 30 पैसा) – 17506.30

(ग) पासबुक पोस्टऑफीस सिमडेगा में

(नौ हजार आठ सौ चौवालीस रूपया इक्कयावन पैसा) – 9844.51

(घ) फिक्स डिपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(पाँच हजार रूपया)– बनाम मो0 अयाज 5000.00

कुल रकम (चौतीस हजार पचास रूपये एक्कासी पैसे) **34050.81**

जायदाद का बंटवारा :–

वारिशों के नाम की तफशील निम्नलिखित है।

वाजेह बाद के जायदाद शरिअत के कानून के मुताबिक बंटवारा करने में चुके छोटे–बड़े सामानों को बंटवारा करना पड़ता जिससे मामला लंबी होती और समय ज्यादा बर्बाद होता जबकि कोई भी पँच ज्यादा समय देने के लिए राजी नहीं था। जरूरत इस बात की महसूस की गई कि कम बेसी करके समझौता तौर पर मामला को जल्द खत्म किया जाय। हाजी साहब मरहुम की पत्नि चूँकि जिन्दा है। बडे साहबजादे अब्बास सहाब सेहत से मजबूर है। औलाद ज्यादा है। बच्चियों की शादी का मरहला सामने है। छोट बेटे बाबु अयाज अहमद शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और कारोबार से कोई लगाव नहीं है। इसलिए हालात का तकाजा है कि पत्नि और दोनों बेटों को तय किय हुए हिस्से से ज्यादा दिया जाय और हाजी साहब मरहूम के वालदा और तमाम लड़कियों को तय किये हुए हिस्से से कम दिया जाय। लड़कियों को कम देने में ये बात भी मद्देनजर है कि हाजी साहब के तमाम लड़कियों का तालुक और लगाव और आने–जाने का जरिया अपनी माँ और भाईयों से बाकी रहे। इसलिए इस सिलसिले में हाजी साहब महरूम की वाल्दा और लड़कियाँ की राय मालूम की गई तो इन हजरात ने खुशी से इस बात की इजाजत दे दी है। लड़कियों ने बड़ी खुशियों के साथ इस बात का इकरार किया कि हिस्से न मिले फिर भी हमलोग खुश है।

इसलिये निम्नलिखित बंटवारा वारिशें की खुशी से की गई है–

1. मकानों की बंटवारा निम्नलिखित है।

(क) खैरनटोली वाला बिरमित्रापूर – सिमडेगा रोड में स्थित मकान अब्बास अहमद को दिया गया। इसमें पैखाना और कुआँ की जो कमी है उसे वो खुद पूरा कर लेंगे ।

(ख) मुहल्ला खैरनटोली वाला मस्जिद रोड में स्थित मकान बाबू अयाज अहमद को दिया गया।

2. खेती की जमीन की बंटवारा निम्नलिखित है–
खेती की जमीन जो कसडेगा थाना ठेठेईटाँगर में स्थित है वो जमीन पत्नि हाजी साहब कुलसुम खातून को जिन्दगी भर के लिए दिया गया उनके मृत्यु के बाद वारिशों का होगा।

3. नगद रूपये जो तिजौरी से निकले बैंको और पोस्ट ऑफिस में हैं उसकी तकसीम निम्नलिखित है।

(क)	आदाएगी कर्ज मअरफत अहलिया हाजी साहब (पॉच सौ रूपये)	500.00
(ख)	पॉचो लड़कियॉ प्रति लडकी पॉच सौ रूपये, (पच्चीस सौ रूपये)	2500.00
(ग)	वाल्दह हाजी साहब मरहुम (दो सौ रूपये)	200.00
(घ)	अहलिया हाजी साहब मरहुम (दस हजार रूपये)	10.000.00
(ड.)	बड़े शाहबजादे अब्बास साहब (दस हजार रूपये)	10.000.00
(च)	छोटे शाहबजादे बाबु अयाज अहमद सल्लमहु(दस हजार रूपये)	10.000.00
(छ)	बराए इशाले सवाब (आठ सौ पच्चस रूपये एकासी पैसे)	850.81
कुल (चौतीस हजार पच्चास.रूपये एकासी पैसे)		**34.050.81**

4. रेडिमेट के कपड़े कि बंटवारा निम्नलिखित है।

अब्बास अहमद साहब को दो हजार रूपये का रेडिमेट अपनी जिन्दगी में हाजी साहब ने देकर अलग कर दिया था. इसलिए पहले दो हजार रूपये के रेडिमेट बाबु अयाज अहमद सल्लमहु को दिया गया उसके बाद तीन सौ रूपये का रेडिमेंट हाजी साहब कि वाल्दह मुसम्मात बरफन को दिया गया उसके बाद बाकि मानदा रेडिमेंट

को पत्नि हाजी साहब और दोनों शाहबजादों के बीच बराबर–बराबर तकसीम कर दिया गया।

5. मुहल्ला ईदगाह इस्लामपुर में मेन रोड से पुरब जुड़ा हुआ जनाब समसुद्दीन साहब के मकान से मुत्तसील बाश कि जमीन जो अब्बास अहमद साहब और अयाज अहमद साहब के नाम रजिस्ट्री सुदा है वो जमीन दोनों भाईयों को बराबर हिस्से में दे दी गई।

हम तमाम वारिसीन ने उपर लिखे मजमुन पढ़कर और पढ़वाकर सुन वो समझ लिया हम तमाम लोगों को उपर लिखित फैसला मन्जुर है अपनी मर्जी और खुशी से हम लोगों ने अपना दस्तखत कर दिया। फकत कातिब मजमुन अबरार अहमद काशमी तारीख – 04/01/1975 ई0

हस्ताक्षर :– 1) अबरार अहमद काशमी
2) अलाउद्दीन अशरफ
3) अब्दुल गफुर
4) मोहम्मद तैय्यब हुसैन

उपर लिखे फैसला के मुताबिक हम तमाम फरीको ने अपने अपने हिस्सा की रूकुमात को वसुल पाया। अब किसी फरीक का मुतालबा किसी भी के उपर बाकी न रहा अब अपने मुरीश आला जनाब हाजी विलायत हुसैन मरहुम की जायदाद में किसी भी वारिश को वरासत का दावा करने का हक हासिल न होगा। फकत

हस्ताक्षर :– 1) मोहम्मद अब्बास
2) मोहम्मद अयाज
3) मोहम्मद समसाद आलम
4) फहमिदा खातुन